न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2020
प्रविष्टि दिनांकः– 05.06.2010

हीरालाल पुत्र रामा जाति जाट निवासी डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
....आवेदक

बनाम

1–सरपंच ग्राम पंचायत डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोक राज0
2–ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

......विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 92 राज0पंचायत अधिनियम 1994

उपस्थितः (1) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री जुगनू शर्मा, अभिभाषक विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 31.12.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 3418/2,3418/3,3418/5 व 3418/6 वाके ग्राम डिग्गी तहसील मालपुरा मे गलत रूप से अप्रार्थी को दिलाये गये कब्जे मे कोई निर्माण कार्य नही करे तथा प्रार्थी को बेदखल नही करे और प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा मे प्रस्तुत वाद संख्या 42/1989 मे तैयार की गई कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर सीमाकंन तथा तब तक निर्माण नही करने हेतु पाबंद किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का सीमाकंन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा दिनांक 26.05.1989 को निर्णित बॅटवारा के वाद संख्या 42/1989 मे स्वीकार किये गये कुरेजात के आधार पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा की जाकर रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि "ग्राम डिग्गी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2074–77 के अनुसार ख. नं. 3418/3 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, 3418/5 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा हीरालाल पुत्र रामा जाति जाट व ख. नं. 3418/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 3418/6 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भंवरलाल किशनलाल पि. दुर्गालाल जाति जाट सा. देह खातेदार रिकोर्ड में दर्ज है तथा ख. नं. 3418/1 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा बीघा चरागाह, 3418/8 रकबा 1 बीघा ग्रा. प. भवन हेतु तथा ख. नं. 3418/7 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा उप तहसील कार्यालय भवन हेतु [illegible]

ग्राम डिग्गी का उक्त ख. न. का नक्शा शी[illegible] – कटाफटा अस्पष्ट है तथा ख. नं. से सम्बन्धित बटा नम्बरान् की [illegible] चूंकि आवेदक द्वारा पूर्व प.ह. डिग्गी द्वारा (कपूर चन्द प. ह. डिग्गी) जारी किया [illegible] पेश की ग[illegible] उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

नक्शा शीट का तकारमा डिकी उपखण्ड अधिकारी मालपुरा दि. 26.05.89 में बनाये गये कुरेजात नक्शा शीट से मिलान किया गया है। पूर्व प. ह. द्वारा जारी किये गये नक्शे शीट में ख. नं. 3418/2 रकबा 3 बीघा का अंकन किया हुआ है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा डिकी दि. 26.05.89 से मेल खाता है। अतः पूर्व प. ह. द्वारा जारी नक्शा शीट व न्यायालय उपखण्ड अधि. डिकी 26.05.89 में बने कुरेजात नक्शा शीट का अवलोकन किया जाकर सीमांकन किया गया है। पूर्व प. ह. डिग्गी द्वारा जारी किये गये नक्शा शीट के अनुसार ख. नं. 3418/2 रकबा 3 बीघा का सीमांकन हेतु ख. नं. 3422 गै. मु. पाल से जरीब चलाई गई जिसके आधार पर उक्त ख. नं. में मौके पर 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में उप तह. कार्यालय भवन बना हुआ है तथा 5 बिस्वा भूमि में पक्की सी.सी. रोड़ बनी हुयी है तथा 1 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत भवन हेतु ग्रा. पं. को सुपुर्द किया गया हुआ है शेष भूमि पर आवेदकों का कब्जा है। तथा पूर्व प. ह. डिग्गी द्वारा जारी किये गये शीट में दर्शाये गये ख. नं. 3418/1 में मौके पर 11 बिस्वा भूमि उप तह. कार्यालय दीवार, शेष भूमि पर सी.सी. रोड बनी है तथा शेष खाली पड़ी हुई है।"

प्रकरण मे अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये बहस मे निवेदन किया कि विपक्षीगण ने अपने संकल्प व प्रस्ताव द्वारा ग्राम पंचायत डिग्गी के कार्यालय भवन हेतु यह प्रस्ताव पारित किया कि उसे अपने नवीन पंचायत भवन हेतु ग्राम डिग्गी के खसरा नम्बर 3418/1 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा किस्म चारागाह में से 1 बीघा भूमि नवीन पंचायत भवन हेतु आवंटित की जाये। उक्त प्रस्ताव पर तहसील मालपुरा के राजस्व अधिकारियों द्वारा अभिशंषा किये जाने पर जिला कलेक्टर टोंक ने अपने आदेश दिनांक 19.07.2019 से खसरा नम्बर 3418/1 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि का पंचायत भवन हेतु 1963 के नियम के तहत निशुल्क आवंटन की गई है।

उक्त प्रस्ताव के तहत मालपुरा तहसील के राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 3418 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि मे से ग्राम पंचायत डिग्गी को आवंटन करने हेतु नक्शा की नकल तैयार नही करके मात्र नजरी नक्शा तैयार किया तथा नजरी नक्शा मे पंचायत भवन के लिए भूमि ख0नं0 3418 गै0मु0 चरागाह मे नही दर्शाकर प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत नम्बर 3418/2/3 मे दर्शाया गया है जो तहसीलदार मालपुरा की सीमाकंन रिपोर्ट मे बखूब साबित हो रही है।

वास्तविक स्थिति यह है कि मूल खसरा नम्बर 3418 वाके ग्राम डिग्गी का कुल रकबा 45 बीघा है, जिसमें से प्रार्थी के पिता रामा पुत्र सुखा जाट को कृषि प्रयोजन के लिये 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि 1970 के नियम के तहत आवंटित हुई थी तथा उक्त आवंटन की पालना में विधिवत रूप से मूल आवंटी को कब्जा दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया गया जो खसरा नम्बर 3418/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 3418/3 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा के रूप में किया गया तथा इसी खसरा नम्बर में 15 बीघा जमीन अन्य व्यक्ति कालू मीणा को आवंटित हुई है तथा शेष बची भूमि खसरा नम्बर 3418/1 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा चरागाह के रूप में दर्ज रिकार्ड है।

उक्त भूमि आवंटन के पश्चात तथा मूल आवंटी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी व उसके भाई दुर्गालाल के मध्य इस भूमि तथा उनकी अन्य भूमि को लेकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां विभाजन बाबत वाद संख्या 42/1989 दर्ज हुआ है, जिसमें राजीनामा बॅटवारा डिकी हुआ उक्त बॅटवारे मे संलग्न कुरेजात में खसरा [illegible] 3418/3 का दोनो भाईयों के मध्य विभाजन कर उनके नाम के अनुसार अलग-[illegible] भरा गया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने उक्तानुसार [illegible] द्वारा आदेश दिनांक 26.05.1989 मे स्वीकार किया है,जिसके प्रमाणित प्रतियां न्यायालय [illegible] मे प्रस्तुत की गई है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रकार उक्त भूमि का दोनो भाईयों के मध्य विधिवत विभाजन किया गया तथा वर्तमान में उक्त जमीन आवेदक व उसके भाई दुर्गालाल की खातेदारी में 3418/3, 3418/5, 3418/2, 3418/6 के रूप में दर्ज है। इस प्रकार आवेदक व उसका भाई उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार व काबित काश्तकार है।

प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का सीमाकंन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा दिनांक 26.05.1989 को निर्णित बँटवारा के वाद संख्या 42/1989 मे स्वीकार किये गये कुरेजात के आधार पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा की जाकर रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि ''ग्राम डिग्गी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2074–77 के अनुसार ख. नं. 3418/3 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, 3418/5 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा हीरालाल पुत्र रामा जाति जाट व ख. नं. 3418/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 3418/6 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भंवरलाल किशनलाल पि. दुर्गालाल जाति जाट सा. देह खातेदार रिकोर्ड में दर्ज है तथा ख. नं. 3418/1 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा बीघा चरागाह, 3418/8 रकबा 1 बीघा ग्रा. प. भवन हेतु तथा ख. नं. 3418/7 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा उप तहसील कार्यालय भवन हेतु रिकोर्ड में दर्ज है।

ग्राम डिग्गी का उक्त ख. न. का नक्शा शीट जीर्णशीर्ण – कटाफटा अस्पष्ट है तथा ख. नं. से सम्बन्धित बटा नम्बरान् की आपस में तरमीम नहीं है। चूंकि आवेदक द्वारा पूर्व प.ह. डिग्गी द्वारा (कपूर चन्द प. ह. डिग्गी) जारी किया गया नक्शा शीट पेश की गई है। उक्त नक्शा शीट का तकास्मा डिकी उपखण्ड अधिकारी मालपुरा दि. 26.05.89 में बनाये गये कुरेजात नक्शा शीट से मिलान किया गया है। पूर्व प. ह. द्वारा जारी किये गये नक्शे शीट में ख. नं. 3418/2 रकबा 3 बीघा का अंकन किया हुआ है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा डिकी दि. 26.05.89 से मेल खाता है। अतः पूर्व प. ह. द्वारा जारी नक्शा शीट व न्यायालय उपखण्ड अधि. डिकी 26.05.89 में बने कुरेजात नक्शा शीट का अवलोकन किया जाकर सीमांकन किया गया है। पूर्व प. ह. डिग्गी द्वारा जारी किये गये नक्शा शीट के अनुसार ख. नं. 3418/2 रकबा 3 बीघा का सीमांकन हेतु ख. नं. 3422 गै. मु. पाल से जरीब चलाई गई जिसके आधार पर उक्त ख. नं. में मौके पर 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में उप तह. कार्यालय भवन बना हुआ है तथा 5 बिस्वा भूमि में पक्की सी.सी. रोड़ बनी हुयी है तथा 1 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत भवन हेतु ग्रा. पं. को सुपुर्द किया गया हुआ है शेष भूमि पर आवेदकों का कब्जा है। तथा पूर्व प. ह. डिग्गी द्वारा जारी किये गये शीट में दर्शाये गये ख. नं. 3418/1 में मौके पर 11 बिस्वा भूमि उप तह. कार्यालय दीवार, शेष भूमि पर सी.सी. रोड बनी है तथा शेष खाली पड़ी हुई है।'' अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक विपक्षीगण ने जवाबी बहस मे लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रकरण मे वर्णित मूल खसरा नं. 3418 रकबा 44:15 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। मूल खसरा नं. में से 15 बीघा 10 बिस्वा भूमिं वादी के पिताजी रामा पुत्र सुखा जाट सा. देह के नाम राजस्व रिकार्ड में आवंटित किया गया था। वर्तमान में उक्त खसरा नं. मे 3418/1 रकबा 10:01 बीघा भूमि चारागाह रिकार्ड में दर्ज है व 3418/2 रकबा 2:07 बीघा 3418/3 रकबा 5:08 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 7:14 बीघा भंवर लाल, किशन लाल, पि. दुर्गालाल जाति जाट सा. देह व खसरा नं. 3418/3 रकबा 5:08 बीघा, 3418/5 रकबा 2:08 बीघा किता 2 कुल रकबा 7:16 बीघा, 3418/4 रकबा 15:00 बीघा भूमि कल्याण सहाय वगै पि. कालू जाति मीणा सा. देह व खसरा नं. 3418/7 रकबा 3:04 बीघा भूमि उप तहसील कार्यालय भवन व आवास हेतु तथा खसरा नं. 3418/8 रकबा 1:00 बी[illegible]ग्राम पंचायत भवन डिग्गी हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी है।

खसरा नं. 3418 रकबा 44:15 बीघा मे से रामा पु[illegible] सुखा जाट सा. देह के नाम 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया था। उक्त खसरा नं. मे चारागाह भूमि भी दर्ज है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

द्वारा उक्त खसरा नं. के स्वयं की भूमि पर कब्जा चला आ रहा है और चारागाह भूमि पडत चली आ रही है, जिस पर कोई अतिक्रमण नही है। ग्राम डिग्गी के आराजी खसरा नं. 3418/01 रकबा 11:01 बीघा भूमि चरागाह भूमि रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नं. में से 1:00 बीघा भूमि नवीन ग्राम पंचायत भवन डिग्गी निर्माण हेतु नियमानुसार वैधानिक रूप से आवंटन के लिए प्रस्ताव बनाया गया उक्त प्रस्ताव उक्त खसरा नं. में खाल पडत व अतिक्रमण मुक्त (रहित) भूमि पर बनाया अर्थात भूमि का बनाया गया था। जिस पर वादी व अन्य किसी का कोई कब्जा या वैधानिक से मालिकाना या काबिजाना हक व अधिकार नहीं है। उक्त प्रस्ताव के आधार पर माननीय जिला कलेक्टर टोंक के आदेश कमांक एफ 12-31 राजस्व/आवंटन/ 19/ 3215-15 दिनांक 19.07.2019 को 1:00 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटित की गयी थी। ग्राम डिग्गी का राजस्व नक्शा शीट जीर्ण-शीर्ण अस्पष्ट है तथा मूल ख. नं. 3418 के बटा नम्बर में आपस में तरमीम नहीं है। अतः चरागाह खसरा नं. 3418/1 रकबा 11:01 बीघा में से 1/00 बीघा का नजरी नक्शा बडी मुश्तेदी से बनाया जाकर अतिक्रमण मुक्त (रहित) भूमि का प्रस्ताव बनाया गया है। जिस पर वादी व अन्य किसी दिगर व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं था और ना ही है और ना ही कोई तारबन्दी मौके पर थी। जिसकी नकल जमाबन्दी खसरा नं. 3418/1 रकबा 11:01 बीघा सम्वत 2074 से 2077 खाता सं. 1306 संलग्न है।

ग्राम डिग्गी का राजस्व नक्शा शीट जीर्ण-शीर्ण कटा-फटा व अस्पष्ट होने तरमीम नहीं की जा सकती है तथा मूल खसरा नं. 3418 का आपस में बटा नं. में तरमीम नहीं है आवंटन आदेश के उपरान्त खसरा नं. 3418/1 चरागाह भूमि मे से 1:00 बीघा का सरपंच ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी डिग्गी एवं ग्रामवासी डिग्गी तथा नायब तहसीलदार डिग्गी की मौजूदगी में विधिवत रूप से कब्जा सुपुर्द किया गया था व ग्राम डिग्गी के नामान्तकरण सं. 6142 दिनांक 02.06.2020 पर दर्ज कर 3418/8 रकबा 1:00 बीघा भूमि ग्राम पंचायत भवन हेतु आवंटन नियमानुसार स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। "न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के वाद सं. 42/1989 द्वारा जारी डिक्री तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खं नं. 3418/2, 3418/3, 3418/5, 3418/6 का अमल दरामद हो गया है,किन्तु नक्शा शीट जीर्ण-शीर्ण फटी-कटी होने उक्त खसरा नं. की डिक्री अनुसार नक्शे में तरमीम नहीं की गयी जो वर्तमान में भी तरमीम नहीं है।"

ग्राम डिग्गी के आराजी खसरा नं. 3418/1 भूमि चरागाह में मौके पर दक्षिण की तरफ 1:00 बीघा भूमि स्थित है। प्रस्ताव में दर्शाये गये नजरी नक्शे के आधार पर उप तहसील भवन के सामने उत्तरी दिशा में 1:00 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत को कब्जा सुपुर्दगी कर मौके कर डोल लगाकर दी गयी है और आज भी मौके पर पंचायत भवन डिग्गी का काबिजाना मालिकाना हक अधिकार है मौके पर खुली आंखों से डोल लगी हुयी है जिसे देखा जा सकता है। मौके पर वर्तमान में किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है। प्रस्ताव में जारी नजरी नक्शे के आधार पर भूमि को ग्राम पंचायत को विधिवत सुपुर्द किया गया है मौके पर किसी तरह का कोई निर्माण नही है तथा पटवारी रिपोर्ट की प्रति से साफ तौर से जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान में पूर्व में किसी अन्य दीगर व्यक्ति या वादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। उक्त आवंटित भूमि खाली पडत भूमि थी। नजरी नक्शा व सुपुर्दगी नामा की प्रति संलग्न है।

इस प्रकार ग्राम डिग्गी के खसरा नं. 3418/1 रकबा 11:01 बीघा चरागाह भूमि मे से 1:00 बीघा भूमि तहसील कार्यालय मालपुरा के प्रस्तावों के अनुसार श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक के आदेश कमांक एफ 12-3 राजस्व/आवंटन/ 19/ 3215-21 दिनांक 19.07.2019 के अनुसार नवीन पंचायत भवन डिग्गी हेतु आवंटित की गयी थी तथा आवंटन शुद्वा भूमि पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के आदेश कमांक [illegible]/20 दिनांक 28.05.2020 की अनुपालना में उपस्थित पटवारी डिग्गी [illegible] ग्राम पंचायत डिग्गी एवं ग्राम वासियों डिग्गी की उपस्थिति में प्रस्ताव के अनुसार 01:00 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत डिग्गी

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

सरपंच ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डिग्गी को मौके पर कब्जा सुपुर्द कर सुपुर्दगी नामा पर हस्ताक्षर कराये गयें बाद सुपुर्दगी नामा उक्त 1:00 बीघा भूमि पर जरिये नामान्तकरण संख्या 6142 से नवीन भवन ग्राम पंचायत डिग्गी के नाम खोला गया तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार हो चुका है।

"प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि हमारी खातेदारी की भूमि सं. 3418/3, 3418/5 की भूमि ग्राम पंचायत डिग्गी को सुपुर्द कर दी है। इस सम्बन्ध में आवंटन दिनांक 19.07.2019 से अब तक कई बार प्रतिपक्षीगण द्वारा वादीगण को बुलाकर कहा गया है कि आप आपने खाते की भूमि को तरमीम शुद्वा नक्शा ट्रेस पेश करे। लेकिन आवंटित भूमि की जगह का उनके द्वारा कोई नक्शा ट्रेस तरमीम शुद्वा पेश नहीं किया गया क्योंकि उनके पास किसी भी तरह का कोई तरमीम शुद्वा नक्शा ट्रेस अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ नहीं है। मात्र सिर्फ और सिर्फ केवल चरागाह भूमि पर वह ग्राम पंचायत डिग्गी की आवंटित भूमि पर बदनियत पूर्वक कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी का अपने खेतों की भूमि पर कब्जा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिर्फ इस मन्शा से पेश किया गया है कि सरकारी भूमि पर न्यायालय की आड में कब्जा किया जा सके।" अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण कि बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया। दोनो पक्ष इस बात को स्वीकार करते है कि ग्राम डिग्गी का नक्शा जीर्ण-शीर्ण है तथा नक्शे मे खसरा नम्बर 3418/1 एंव 3418/2,3418/3,3418/5 व 3418/6 की तरमीम नही है।

ग्राम डिग्गी के खसरा नं. 3418/1 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा चरागाह भूमि मे से 1:00 बीघा भूमि तहसील कार्यालय मालपुरा के प्रस्ताव के अनुसार जिला कलेक्टर टोंक के आदेश कमांक एफ 12-3()राजस्व/आवंटन/19/ 3214 दिनांक 19.07.2019 के अनुसार नवीन पंचायत भवन डिग्गी हेतु आवंटित की गयी है। आवंटन आदेश मे आवंटित की गई भूमि की तरमीम का विवरण नही है। अर्थात आवंटित भूमि की तरमीम तहसील स्तर से ही की जानी है तथा ग्राम डिग्गी की नक्शा शीट जीर्ण-शीर्ण होने के कारण खसरा नम्बर 3418/1 मे से किस स्थान पर 1 बीघा भूमि ग्राम पंचायत डिग्गी को दी जानी है उसका नक्शा-ट्रेस राजस्व कार्मिको द्वारा वक्त आवंटन प्रस्तुत नही किया जाकर मात्र नजरी नक्शा प्रस्तुत किया।

प्रकरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का सीमाकंन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा दिनांक 26.05.1989 को निर्णित बॅटवारा के वाद संख्या 42/1989 मे स्वीकार किये गये कुरेजात जो प्रार्थी की भूमि का मूल नक्शा दस्तावेजात है के आधार पर की जाकर तहसीलदार मालपुरा द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि ग्राम डिग्गी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2074-77 के अनुसार ख. नं. 3418/3 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, 3418/5 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा हीरालाल पुत्र रामा जाति जाट व ख. नं. 3418/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 3418/6 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भंवरलाल किशनलाल पि. दुर्गालाल जाति जाट सा. देह खातेदार रिकोर्ड में दर्ज है तथा ख. नं. 3418/1 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा बीघा चरागाह, 3418/8 रकबा 1 बीघा ग्रा. प. भवन हेतु तथा ख. नं. 3418/7 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा उप तहसील कार्यालय भवन हेतु रिकोर्ड में दर्ज है।

ग्राम डिग्गी का उक्त ख. न. का नक्शा शीट जीर्णशीर्ण - कटाफटा अस्पष्ट है तथा ख. नं. से सम्बन्धित बटा नम्बरान् की आपस में तरमीम नहीं है। चूंकि आवेदक द्वारा पूर्व प.ह. डिग्गी द्वारा (कपूर चन्द प. ह. डिग्गी) [illegible] पेश की गई है। उक्त नक्शा शीट का तकास्मा डिक्री उपखण्ड अधिकारी माल[illegible] दि. [illegible]05.89 में बनाये गये कुरेजात नक्शा शीट से मिलान किया गया है। पूर्व प. ह. द्वारा जारी [illegible] गये नक्शे शीट में ख. नं. 3418/2 रकबा 3 बीघा का अंकन किया हुआ है जो न्या[illegible] उपखण्ड अधिकारी मालपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

डिकी दि. 26.05.89 से मेल खाता है। अतः पूर्व प. ह. द्वारा जारी नक्शा शीट व न्यायालय उपखण्ड अधि. डिकी 26.05.89 में बने कुरेजात नक्शा शीट का अवलोकन किया जाकर सीमांकन किया गया है। पूर्व प. ह. डिग्गी द्वारा जारी किये गये नक्शा शीट के अनुसार ख. नं. 3418/2 रकबा 3 बीघा का सीमांकन हेतु ख. नं. 3422 गै. मु. पाल से जरीब चलाई गई जिसके आधार पर उक्त ख. नं. में मौके पर 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में उप तह. कार्यालय भवन बना हुआ है तथा 5 बिस्वा भूमि में पक्की सी.सी. रोड़ बनी हुयी है तथा 1 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत भवन हेतु ग्रा. पं. को सुपुर्द किया गया हुआ है शेष भूमि पर आवेदकों का कब्जा है। तथा पूर्व प. ह. डिग्गी द्वारा जारी किये गये शीट में दर्शाये गये ख. नं. 3418/1 में मौके पर 11 बिस्वा भूमि उप तह. कार्यालय दीवार, शेष भूमि पर सी.सी. रोड बनी है तथा शेष खाली पड़ी हुई है।''

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा मे प्रार्थी ने अपनी संयुक्त खातेदारी के बॅटवारे के निर्णय दिनांक 26.05.1989 मे स्वीकृत कुरेजात जो प्रार्थी की भूमि का मूल नक्शा दस्तावेजात है की प्रमाणित नकल न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर प्रार्थी के खातेदारी भूमि का सीमाकंन तहसीलदार मालपुरा से करवाये जाने पर ग्राम पंचायत डिग्गी को ख0नं0 3418/1 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा मे से आवंटित 1 बीघा भूमि का नजरी नक्शा वाला प्रस्ताव मौके पर खसरा नम्बर 3418/1 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा मे नही पाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 3418/2,3418/3 मे पाया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि ग्राम डिग्गी का नक्शा जीर्ण–शीर्ण होने से आवंटी संस्था ग्राम पंचायत डिग्गी को खसरा नम्बर 3418/1 किस्म चरागाह मे से आवंटित 1 बीघा भूमि का नक्शा ट्रेस की नकल मे भूमि प्रस्तावित नही की गई बल्कि मात्र नजरी नक्शा बनाया गया जो प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3418/2,3418/3 मे बनाये जाने से अवैध एंव प्रभाव शून्य है। आवंटी संस्था को आवंटित खसरा नम्बर 3418/1 गै0मु0 चरागाह रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि मे ही किसी भाग पर आवंटित 1 बीघा भूमि दी जा सकती है। खसरा नम्बर 3418/1 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा के बाहर प्रार्थी की खातेदारी कि भूमि खसरा नम्बर 3418/2,3418/3 मे नही दी जा सकती है। प्रार्थी के पास स्वंय की खातेदारी के खसरा नम्बर 3418/2,3418/3 का बॅटवारे मे स्वीकृत कुरेजात के दस्तावेजात है जो प्रार्थी की भूमि के नक्शे के आधारभूत दस्तावेजात है तथा जो आज दिनांक तक मान्य है तथा उक्त नक्शे के आधार पर प्रार्थी की भूमि का मौके पर तहसीलदार द्वारा सीमाकंन किया गया है।

फलतः प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि अप्रार्थीगण ग्राम डिग्गी की सरहद मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3418/2,3418/3,3418/5 व 3418/6 मुताबिक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के बॅटवारा निर्णय दिनांक 26.05.1989 मे स्वीकृत कुरेजात नक्शे अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि का तहसीलदार द्वारा करवाये गये सीमाकंन की सीमा मे कोई निर्माण कार्य नही करे एंव प्रार्थी को बेदखल नही करे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक
अति.जिला. कलेक्टर, टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner